india.gov.in
INDIA

झारखण्ड सरकार

आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं संधारण

उदेश्य :-

इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के क्रम में आवासीय एवं अन्य सुविधाए उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं उनका संधारण किया जाता है।

स्वरूप :-

झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजाति के 87, अनुसूचित जाति के 21 एवं पिछडी जाति के 02 आवासीय विद्यालय कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जा रहें है। इन आवासीय विद्यालयों के संधारण के निमित्त विद्यार्थियों को निशुल्क आवासीय सुविधा, भोजन, यूनिफार्म, सोडा,साबुन एवं पठन-पाठन सामग्री उपालब्ध कराई जाती है। इस के साथ

ही प्रत्येक 3 वर्ष पर विद्यार्थियों को कम्बल, दरी, चादर, मच्छड़दानी, तौलिया आदि की आपूर्ति की जाती है।

इन विद्यालयों में कम्प्यूटर कि आपूर्ति भी की गई है, जिससे विद्यार्थियों को कम्प्यूटर का शिक्षण मिल सके।

प्रक्रिया :-

आवासीय विद्यालयों में नामांकन क्रमशः वर्ग-1, वर्ग-6 एवं वर्ग-9 के स्तरों पर रिक्तियों के आधार पर प्रमण्डलीय स्तर पर गठित परीक्षा समिति के दिशा निदेश पर लिखित/मौखिक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है।

कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों का संचालन मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय विद्यालयों के तर्ज पर किया जाता है।विद्यालयों में नामांकन हेतु आवेदन पत्र समाचार पत्रों के माध्यम से उप-निदेशक, कल्याण कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं लिखित तथा मौखिक परीक्षा के आधार पर नामांकन किया जाता है।